

श्यामलाल बनाम गोरधन व अन्य

प्र0सं0-: 87 / 2024(रे0वाद)

निर्णय दिनांक:-02 / 07 / 2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
(पीठारीन अधिकारी:- अर्चना चौधरी , आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 87 / 2024(रे0वाद)

दायर दिनांक :- 14 / 10 / 2024

निर्णय दिनांक :- 02 / 07 / 2025

अनवान

1. श्यामलाल पिता रामलाल जाति मीणा आयु बालिग निवासी मीणा का खेड़ा कोठाज जिला भीलवाडा राजस्थान

वादी

बनाम

1. गोरधन पिता हमीर जाति भील निवासी सामरनाका तहसील देवगढ़ हाल निवासी काला पायरा बीड देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान
2. तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द


प्रतिवादीगण

वाद बाबत् 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त रूप से कृषि आराजियात ग्राम बीड देवगढ़ पटवार हल्का स्वादडी - बी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता संख्या 16 खसरा न. 469 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा संख्या 497 / 467 रकबा 0.6300 हैक्टर, खसरा संख्या 498 / 467 रकबा 0.9700 हैक्टर कुल कित्ता 3 रकबा 1.6200 हैक्टर भूमि में वादी का 7 / 8 हिस्सा एवं खाता संख्या 17 खसरा संख्या 466 रकबा 2.1600 हैक्टर कुल कित्ता 1 रकबा 2.1600 हैक्टर भूमि में वादी का 11 / 12 हिस्सा एवं खाता संख्या 122 खसरा संख्या 464 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा संख्या 465 रकबा 1.6000 हैक्टर कुल कित्ता 2 रकबा 1.6200 हैक्टर भूमि में वादी का 47 / 48 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

श्यामलाल बनाम गोर्धन व अन्य

प्र0सं0-: 87 / 2024(रि0वाद)

निर्णय दिनांक:-02 / 07 / 2025

गया जिस पर वादीगण अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म
1	गोर्धन पुत्र हमीर हिस्सा पूर्ण जाति भील सा. देह खातेदार	497 / 467 / 1	0.4163	बारानी 1
	योग	किता-1	0.4163	
2	श्यामलाल पुत्र रामलाल हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा मीणोकाखेड़ा कोटाज भीलवाड़ा खोतदार	497 / 467 / 2 498 / 467 464 465 466	0.2137 0.9700 0.0200 1.6000 2.1600	बारानी 1 बारानी 1 गै0मु0आ चा बारानी 1 वीड 1
	योग	किता-05	4.9637	
3	गोर्धन पुत्र हमीर हिस्सा 1/8 जाति भील सा. देह खातेदार श्यामलाल पुत्र रामलाल हिस्सा 7/8 जाति मीणा सा मीणोकाखेड़ा कोटाज भीलवाड़ा खोतदार	469	0.0200	गै0मु0आ चा
	योग	किता-1	0.0200	

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 02 / 07 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक सहायको कलेक्टर देवगढ़
देवगढ़ जिला राजसमन्त

श्यामलाल बनाम गोरधन व अन्य
प्र०सं०-: 87 / 2024 (रे०वाद)
निर्णय दिनांक:-02 / 07 / 2025

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ जिला राजसमन्द
(पिठासीन अधिकारी - अर्चना चौधरी, आर ए एस)
राजस्व वाद संख्या :- 87 / 2024

अनवान

1. श्यामलाल पिता रामलाल जाति मीणा आयु बालिग निवासी मीणा का
खेड़ा कोठाज जिला भीलवाडा राजस्थान
- वादी


बनाम

1. गोरधन पिता हमीर जाति भील निवासी सामरनाका तहसील देवगढ हाल
निवासी काला पायरा बीड देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
राजस्थान
2. तहसीलदार देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

में इस आशय दिनांक 02 / 07 / 2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम
निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि
वादी एव प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से कृषि आराजियात ग्राम बीड देवगढ
पटवार हल्का स्वादडी - बी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता
संख्या 16 खसरा न. 469 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा संख्या 497 / 467 रकबा
0.6300 हैक्टर, खसरा संख्या 498 / 467 रकबा 0.9700 हैक्टर कुल किता 3
रकबा 1.6200 हैक्टर भूमि में वादी का 7 / 8 हिस्सा एवं खाता संख्या 17 खसरा
संख्या 466 रकबा 2.1600 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 2.1600 हैक्टर भूमि में
वादी का 11 / 12 हिस्सा एवं खाता संख्या 122 खसरा संख्या 464 रकबा 0.
0200 हैक्टर, खसरा संख्या 465 रकबा 1.6000 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.
6200 हैक्टर भूमि में वादी का 47 / 48 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। जिस पर
तहसीलदार देवगढ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर
भिजवाया गया जिस पर वादीगण अधिवक्ता ने उपरिथत होकर सहमति प्रदान




सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला राजसमन्द

श्यामलाल बनाम गोरधन व अन्य
प्र0सं0-: 87 / 2024(रे0वाद)

निर्णय दिनांक:-02/07/2025

की गयी। अतः वादीगण का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म
1.	गोरधन पुत्र हमीर हिस्सा पूर्ण जाति भील सा. देह खातेदार	497 / 467 / 1	0.4163	बारानी 1
	योग	किता-1	0.4163	
2	श्यामलाल पुत्र रामलाल हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा मीणोकाखेड़ा कोठाज भीलवाड़ा खेतदार	497 / 467 / 2 498 / 467 464 465 466	0.2137 0.9700 0.0200 1.6000 2.1600	बारानी 1 बारानी 1 गै0मु0आ चा बारानी 1 बीड 1
	योग	किता-05	4.963 7	
3	गोरधन पुत्र हमीर हिस्सा 1/8 जाति भील सा. देह खातेदार श्यामलाल पुत्र रामलाल हिस्सा 7/8 जाति मीणा सा मीणोकाखेड़ा कोठाज भीलवाड़ा खेतदार	469	0.0200	गै0मु0आ चा
	योग	किता-1	0.0200	

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक सहायक कलेक्टर देवगढ़
देवगढ़ जिला राजसमन्ध

